झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) हजा०–04–03 / 2015 (पार्ट–09) ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री नवीन नारायण, (ID- 1895) तदेन अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता के लिए पेंशन नियमावली के नियम– 139 के तहत् कार्रवाई की गई।

2. विभागीय उड़नदस्ता द्वारा जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग के अर्न्तगत गोलाई वीयर योजना के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता के संबंध में निम्न प्रतिवेदन दिया गया :–

(i) गोलाई वीयर योजना नहर के desilting के लिए निर्धारित दर 70.00 रू० प्रतिघनमीटर है जबकि नहर के जलश्राव (1000 क्यूसेक से कम) के अनुसार इसका सही दर 68.00 रू० प्रतिघनमीटर होना चाहिए। इस मद में 52732 / – रू० का अनियमित भुगतान प्रतिवेदित है।

(ii) इसी योजना में desilted मिट्टी के disposal दर को इस आधार पर अनियमित बताया गया है कि अतिरिक्त लीड (½ km से 1 km) का प्रावधान कर 164.00 रूपये प्रतिघनमीटर के दर से भुगतान किया गया है। इस प्रकार इस मद में रूपये 2785848.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

3. उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सलग्न कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करने के अतिरिक्त यह पाते हुए कि अधिकाई / अनियमित भुगतान के लिए प्राक्कलन स्वीकृत करने वाले अधीक्षण अभियंता / मुख्य अभियंता भी जिम्मेदार हैं, इनसे भी स्पष्टीकरण पूछा गया। इसी क्रम में श्री नवीन नारायण, तदेन अधीक्षण अभियंता से भी स्पष्टीकरण पूछा गया। इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में योजनान्तर्गत उनके द्वारा निष्पादित कार्यों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया। तदोपरान्त योजना के प्राक्कलन, सूत्रण आदि की स्वीकृति में संलिप्त अभियंताओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग से प्रतिवेदन माँगा गया। कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हुआ कि इस योजना के अन्तर्गत मिट्टी के disposal Plan (lead chart) की स्वीकृति का प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता के रूप में श्री नारायण द्वारा मुख्य अभियंता को समर्पित किया गया, जिस पर मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति दी गई, प्रदत्त स्वीकृति श्री नारायण को संसूचित भी है। इसमें योजना अन्तर्गत 19004.50 घनमीटर मिट्टी यांत्रिक ढुलाई द्वारा 1/2 कि०मी० से 01 कि०मी० तक के लिए मिट्टी के डिस्पोजल प्लान लीड चार्ट स्वीकृत किया गया। अतएव, यह पाया गया कि desilted मिट्टी के डिस्पोजल मद में हुए अधिकाई / अनियमितता भुगतान के लिए श्री नारायण भी जिम्मेवार है।

श्री नारायण का यह कहना कि पूर्व में नहर के discharge की जानकारी कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं दी गई थी, परन्तु कार्य कराने के समय कार्य के कार्यान्वयन में संलग्न अभियंताओं को नहर के discharge की जानकारी हो गई होगी और यदि यह 1000 cusec से कम थी तो कार्यपालक अभियंता को 70 / – रूपये के निर्धारित दर को 68 / – रूपये के दर में सुधार करवाकर भुगतान करना अपेक्षित था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने यह भी कहा गया है कि भुगतान हो जाने के उपरान्त भी इसका सामन्जन किया जा सकता है अर्थात् अधिकाई भुगतान को स्वीकार किया गया है। उक्त desilting के निर्धारित दर के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत desilted मिट्टी के disposal हेतु अतिरिक्त lead का प्रावधान नहीं किया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त Desilting मद में भुगतान के साथ अतिरिक्त lead के प्रावधान की स्वीकृति भी दी गई जिसके कारण मिट्टी के disposal मद में भी अधिकाई / अनियमित भुगतान हुआ, इसमें इनकी भी जिम्मेवारी बनती है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इनके बचाव–बयान को अस्वीकार कर पेंशन नियमावली के नियम –139 के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक– 2712 दिनांक– 28.06.2021 द्वारा **"पेंशन से 5% की कटौती 2 वर्षों के लिए "** के दण्ड प्रस्ताव के साथ इनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया।

P.T.O

4. श्री नारायण से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में इन्होंने स्वीकार किया है कि गोलाई वीयर योजना में मिट्टी के disposal plan की स्वीकृति इनके अवधि में दी गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि S.O.R की कंडिका– 7.1.35.2 एवं 7.1.43.11 के बाद अंकित टिप्पणी जिसमें Additional lead के प्रावधान पर Restriction है, मात्र maintaince work of canals, water courses & Pynes में लागू होता है, dead course of river से निकाली गई मिट्टी पर यह प्रभावी नहीं है, जबकि प्रदत्त स्वीकृति में ऐसा कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। वस्तुतः ये दर अनुमान्यता के अंतर्गत नहीं है। इस योजना के स्थिति के अन्तर्गत S.O.R में निरूपित प्रावधानानुसार गोलाई वीयर योजना के पुनर्स्थापन कार्य के अंतर्गत desilting के दर के साथ desilted मिट्टी के disposal का दर प्रावधाननुसार अपेक्षित नहीं था। इनके सहभागिता से मुख्य अभियंता द्वारा प्रदत्त स्वीकृति (पत्रांक– 1547 दिनांक– 07.07.2015) अनुमान्यता के अन्तर्गत नहीं है, जो अधिकाई /अनियमित भुगतान का कारण रहा है।

उल्लेखनीय है कि 1000 cusec से कम के नहर के डिस्चार्ज में desilting का दर 70/– रूपये प्रतिघनमीटर निर्धारित कर भुगतान किया गया एवं पुनः मिट्टी के disposal हेतु अतिरिक्त lead (½ km से 1km) का प्रावधान कर 164/– रूपये प्रतिघनमीटर के दर से भुगतान किया गया, जो प्रावधानानुसार अनुमान्य नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त मिट्टी के disposal मद में हुए अधिकाई/अनियमित भुगतान से हुए वित्तीय क्षति में ये भी सहभागी रहे हैं।

5. अतएव श्री नवीन नारायण तदेन अधीक्षण अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध प्रस्तावित निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

"पेंशन से 5% की कटौती 2 वर्षों के लिए"

6. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4250 राँची/दिनांक 08/08/22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री नवीन नारायण, (ID- 1895) तदेन अधीक्षण अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत अभियंता प्रमुख–I, पत्राचार पता – D/03 साहु पैलेस अपार्टमेंट, अशोक पथ, पूरन बिहार, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव